


मालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

२१ सन २०१९ किस्म मुकदमा कार्यवाही

सामा उर्फ रामलाल वगैरे बनाम गीता वगैरे

| आदेशिका | हस्ताक्षर/सूचना |
|--|---|
| <p>19/10/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निम्नलिखित राजस्व पर्पेचुल प्रीटिज में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16.12.2020 को पेश हो</p> | |
| <p>16/12/2020 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्ष 03 पट्टे की विपक्षी की संख्या 01 की फर्दा-आवक देकर जाने के बावजूद भी कमीशनर को जवाब पेश नहीं हुआ है। जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली में अधिवक्ता पक्ष पक्षान्त की बहस कृती गई। पत्रावली वास्ते दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।</p> | |
| <p>24/12/2020 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्ष पक्षान्त किसी उपस्थित है बहस पट पत्रावली कि पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता पक्ष की उपस्थिति पत्रावली के अंतर्गत तथ्यों की दोहराते हुए अपनी बहस में बहस कि युक्त के लवाया नही की कुम्भलगढ़ की फर्दा प्रीटिज 5847 रकबा 2-18.00 बीघर प्रीटिज प्रीटिज व विपक्षी संख्या की जमाबंदी दिखने अनुसार सहजातेदारी प्रीटिज की प्रीटिज सहजातेदारी की ही फर्दा अधिवक्ता पक्ष प्रीटिज की विपक्षी संख्या 01 के वाले बहस में पट प्रीटिज दर्प-पालु फर्दा कि प्रीटिज की हुई-हुई</p> |  |

करे पट अंतरक ही नमि का मिट्टे स एड
 वाउड्डय के आकार पट जख तउ विभाजन गरी
 हो तख तउ मोके क रेसरी भी पयासिती
 हेतु विपक्षी गण के विरुद्ध अस्थायी निवेधान
 जारी भी जवे। इस हेतु विभाजन व रखाई
 निवेधान का वाड प्रस्तुत किया गया है जिसके
 निवेदान मे समग्र लगेगा। तख तउ अस्थायी
 निवेधाना जारी भी जवे। नमि वरु विपक्षी
 द्वारा अपनी बहस मे बताया कि हम
 सभी सदस्यो के हानि हाने दिखये की
 प्रमि पट निधीन कार्य कर रहे हैं विभाजन
 ही पुरा है। अतः प्रापित पत्र खरीज
 किया जवे। सिधी प्रकट भी अस्थायी
 निवेधान खतेदा के विरुद्ध जारी नहीं
 की जा सकती है। बहस पट मात्र क
 पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि
 प्रमि खतखतेदा की है। जिसके
 विभाजन व अस्थायी निवेधान हेतु
 वाड विचारणीय है। जिसके निवेदान
 मे समग्र लगेगा। वाड भी बहुमत
 न करे इस हेतु अस्थायी निवेधान
 जारी भी जाना अपेक्षित प्रतीत
 होता है। अतः इस रूप की भवेदाई
 निवेधान मूल वाड के निवेदान तउ
 जारी भी जाती है कि उत्तम पक्ष
 राजस्व रेसरी की चयासिती
 बताये रहे। पत्रावली के मूल शुका
 ही कर नम्वर से कर हो।
 निर्णय सुले अपालप मे सुनाया
 गया।



सहसहायक कलेक्टर
 (सि.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द